भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3664

16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़े हुए खाद्यान्न का भंडारण

3664. श्री वी. के. श्रीकंदन:

श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कई गोदामों में सड़े हुए खाद्यान्नों का कई वर्षों से एक ही जगह पर भंडारण किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से देश भर में उनके गोदामों में उक्त सड़े हुए खाद्यान्नों का कारण सहित ब्यौरा मांगा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सड़ रहे खाद्यान्नों के मद्देनजर कृषि उत्पाद भंडारण सुविधाओं में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम की भंडारण सुविधाओं के विस्तार हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यब मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): केन्द्रीय पूल के लिए खरीदे गए तथा भारतीय खाद्य निगम में उपलब्धि खाद्यान्नोंन का भंडारण सामान्यसत: वैज्ञानिक पद्धति से कवर्ड गोदामों में प्रधूमन तथा कीटनाशकों के साथ उपचार जैसे विभन्नं परिरक्षण उपाय करके किया जाता है। सभी सावधानियों के बावजूद खाद्यान्नोंर की कुछ मात्रा विभिन्नण कारणों जैसे प्राकृतिक आपदाओंढुलाई के दौरान नुकसान के कारण जारी न करने योग्य हो जाती है। भारतीय खाद्य निगम में रखे हुये 1165 टन क्षतिग्रस्तौ खाद्यान्नों में से केवल 15 टन एक वर्ष से अधिक पुराना है जिसका कुछ कारणों जैसे रिजर्व मूल्या से कम मूल्ये लगाया जाना या निविदा बिक्री में कोई दर प्राप्त न होने के कारण निपटान नहीं किया जा सका था। शेष 1150 टन एक वर्ष से कम पुराना है तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसकी बिक्री की जा रही है।

जारी.....2/-

(ग): सरकार खाद्यान्नोंन की खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्यक कन्यासणकारी स्कीमों के अंतर्गत उठान पर विचार करके उपलब्धं भंडारण क्षमता की समय-समय पर निगरानी तथा समीक्षा करती है। सरकार, विशिष्टर क्षेत्रों में आवश्यजकता के आधार पर तथा भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए देश में केन्द्रीिय पूल स्टॉतक के भंडारण के लिए गोदामों तथा साईलो के निर्माण के लिए निम्निलिखित स्कीिमें कार्यान्वित कर रही है:

(i) निजी उद्यमी गारंटी स्कीि्म
(ii) केन्द्रीय क्षेत्र की स्की म तथा
(iii) स्टीयल साईलो का निर्माण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नोंल के सुरक्षित भंडारण तथा खाद्यान्नों को सड़ने से बचाने के लिये उठाये गए कदमों का ब्यौलर**अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ड.): भारतीय खाद्य निगम देश में भंडारण क्षमता का नियमित रूप से आकलन तथा निगरानी करता है और आवश्य(कता तथा भंडारण क्षमता में अंतर के अनुमान के आधार पर उपर्युक्तर स्की्मों के अंतर्गत भंडारण क्षमताओं का निर्माण किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिये खाद्यान्नोंत के स्टॉ क के भंडारण के लिये भारतीय खाद्य निगम तथा राज्यद एजेंसियों के पास उपलब्धय कुल भंडारण क्षमता (देश भर में) दिनांक 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 862.45 लाख टन है, जिसमें से 400.83 लाख टन भारतीय खाद्य निगम की है तथा 461.62 लाख टन किराये पर ली गई है।

इसके अलावा , कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय , एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी उप-योजना अर्थात "कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)" कार्यान्वि त करता है, जिसमें दो विशिष्ट विपणन अवसंरचना घटक हैं अर्थात (i) ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण अवसंरचना और (ii) भंडारण अवसंरचना को छोड़कर। इस स्कीम की शुरूआत से दिनांक 31.03.2019 तक आईएसएएम की उप-योजना एएमआई के तहत 65.54 मिलियन टन की भंडारण क्षमता की कुल 38 ,964 भंडारण अवसंरचना परियोजनाएं (गोदाम) स्वीकृत की गई थीं।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तउरार्थ अतारांकित प्रश्ना संख्याम 3664 के उत्त र के भाग (ग) में उल्लिभखित अनुबंध

खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण एवं खाद्यान्नों को सड़ने से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण, भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाता है।

(iii) खाद्यान्नों में फर्श से नमी आने से रोकने के लिए पर्याप्त डनेज सामग्री जैसे लकड़ी की क्रेटों , बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की चद्दरों का उपयोग किया जाता है।

(iv) सभी गोदामों में रखे अनाज में कीड़ों के नियंत्रण के लिए प्रधूमन कवर , नॉइलान की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक प्रदान किए जाते हैं।

(v) भंडारण में रखे खाद्यान्नोंं में कीटों के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोगनिरोधक (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर उपचार (फ्यूमीगेशन) नियमित रूप से और समय पर किए जाते हैं।

(vi) कवर्ड गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में चूहों के नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिं थ (कैप) में खाद्यान्नोंत का भंडारण एलीवेटेड प्लिं□थ में किया जाता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेथमाल किए जाते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्वर वाले काले रंग के पॉलीथीन के वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से कवर किया जाता है और उन्हेंी नाइलॉन की रस्सिपयों/जाल से बांधा जाता है।

(viii) शैक्षणिक योग्यिता प्राप्तप एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों और वरिष्ठन अधिकारियों द्वारा स्टॉयक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं। खाद्यान्नों की गुणवत्तात की निगरानी विभिन्न स्तनरों पर चेक और सुपर-चेक प्रणाली के माध्यकम से नियमित अंतराल पर की जाती है। भंडारण में खाद्यान्नोंं के उचित परिरक्षण को सुनिश्चिकत करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों में निम्नपलिखित चेक और सुपर-चेक किए जाते हैं।

(क) सहायक द्वारा 100% आधार पर स्टॉकक का पाक्षिक निरीक्षण।

(ख) तकनीकी प्रबंधक (क्यूआसी) द्वारा मासिक निरीक्षण।

(ग) सहायक महाप्रबंधक (क्यूकसी) द्वारा तिमाही निरीक्षण।

(घ) क्षेत्रीय, आंचलिक और भारतीय खाद्य निगम मुख्याालय के स्वाण।द्डों द्वारा सुपर-चेक।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम ' (एफआईएफओ) सिद्धांत का यथासंभव पालन किया जाता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नोंथ के दीर्घावधिक भंडारण से बचा जा सके।

(x) गोदामों की छत में लीकेज वाले स्थानों की नियमित रूप से पहचान और मरम्मत की जाती है।

(xi) गोदाम परिसर में नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाती है।

(xii) यह सुनिश्चित किया जाता है कि गोदामों के अंदर कहीं कोई सीलन नहीं है।

(xiii) यह सुनिश्चित किया जाता है कि गोदामों के परिसर में कहीं कोई जल भराव न हो।

(xiv) जब कभी स्टॉक प्रभावित होता है , तो उसको अलग करने और रीकंडीशन करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

****